अनुदान संख्या 12 – औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
GRANT No. 12 - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3599,19,00	5599,24,00	3526,69,60	-2072,54,40
पूरक	Supplementary	2000,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1192,50,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	9,68,00	535,24,00	526,93,94	-8,30,06
पूरक	Supplementary	525,56,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹207254.40 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹200005.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹207254.40 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹200005.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 37 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	9000.00	7474.12	7115.25	-358.87
पु.	R.	-1525.88			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	90927.00			
पू.	S.	20001.00	263.00	..	-263.00
पु.	R.	-110665.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	119029.00			
पू.	S.	2.00	80044.63	77490.32	-2554.31
पु.	R.	-38986.37			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	120984.00			
पू.	S.	180001.00	330502.00	246602.72	-83899.28
पु.	R.	29517.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	15479.00	17627.66	16885.51	-742.15
पु.	R.	2148.66			

(I) ₹112040.65 लाख का प्रावधान (₹20001.65 लाख के पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹111868.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹2000.00 लाख;

(ख) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी" –

(i) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – ₹88868.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ii) "वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय समर्थन" – ₹2000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक

(I) Provision of ₹112040.65 lakhs (including supplementary grant of ₹20001.65 lakhs) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹111868.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies" - ₹2000.00 lakhs.

(b) "Development of Backward Areas - subsidies" -

(i) "Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹88868.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(ii) "Budgetary Support Under Goods and Service Tax Regime" - ₹20000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on

शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" – "औद्योगिक गलियारा – राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण (एनआईसीडीए)" – ₹1000.00 लाख – राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के साथ विलय होने की वजह से स्कीम के समाप्त होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2885" – "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी – वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय समर्थन" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹180000.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई, तथापि, जो ₹163060.90 लाख की सीमा तक व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने/न होने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सचिवालय – औद्योगिक नीति और संवर्धन विकास" – ₹1687.54 लाख की बचत (₹8100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "संबद्ध कार्यालय – आर्थिक सलाहकार (डीआईपीपी)" – ₹197.21 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा – भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" – ₹33378.69 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण/कौशल विकास संबंधित कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2885" - "Industrial Corridors - National Industrial Corridor - National Industrial Corridor Development Authority (NICDA)"- ₹1000.00 lakhs - due to winding up of the scheme owing to its merger with National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT).

(II) Under Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies - Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime" - funds of ₹180000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹163060.90 lakhs - due to less/non-receipt of viable proposals.

(III) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Department of Industrial Policy and Promotion" - saving of ₹1687.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8100.00 lakhs); and

(B) "Attached Offices - Economic Adviser (DIPP)" - saving of ₹197.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(IV) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumer Industries - Leather - Indian Leather Development Programme" - saving of ₹33378.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards training/Skill development.

(खा) "सामान्य – अन्य व्यय" –

(क) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" – ₹12500.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने तथा स्कीम दस्तावेजों में निर्धारित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "मेक इन इंडिया" – ₹10169.31 लाख की बचत (₹0.55 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹29999.55 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने एवं परिकल्पित कार्यकलापों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(ग) "बैद्धिक संपदा और प्रबंधन का संवर्धन के लिए प्रकोष्ठ" – ₹773.76 लाख की बचत (₹1099.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष "2885" – "औद्योगिक गलियारा – दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा – राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास" के अंतर्गत – ₹23479.00 लाख की बचत ₹103179.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम/न होने के कारण हुई।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹148615.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य" –

(B) "General - Other expenditure"-

(a) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of ₹12500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and non-achievement of milestones laid down in the scheme documents.

(b) "Make in India" - saving of ₹10169.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹29999.55 lakhs including token supplementary grant of ₹0.55 lakh) was due to less receipt of viable proposals and non-materialisation of envisaged activities.

(c) "Cell for Promotion of Intellectual Property and Management (CIPAM)"- saving of ₹773.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1099.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "2885" - "Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridor - National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)" - saving of ₹23479.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103179.00 lakhs).

Savings under the abovetwo heads were due to receipt of less/non-receipt of viable proposals.

2.(I) The above savings were partly (₹148615.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs - under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General" -

(क) “औद्योगिक उत्पादकता – स्वायत्त निकायों को सहायता” – ₹500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹499.85 लाख था।

(ख) “अन्य व्यय – स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता” – ₹14898.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14813.21 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2885” – “पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी – पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास” – ₹133217.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹133159.12 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष “2852” – “सामान्य – औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को सहायता” – ₹125.00 लाख का अधिक व्यय (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष “3475” – “पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन – बौद्धिक सम्पदा” – ₹1420.61 लाख का अधिक व्यय (₹14764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(a) “Industrial Productivity - Assistance to Autonomous Bodies” - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, ₹499.85 lakhs.

(b) “Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Institutions” - ₹14898.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14813.21 lakhs.

(B) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development of Backward and Remote Areas” - ₹133217.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹133159.12 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2852” - “General - Industrial Education, Research and Training - Assistance to Autonomous Bodies” - excess of ₹125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs); and

(B) Major Head “3475” - “Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual Property” - excess of ₹1420.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14764.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission recommendations.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay in Public Works				
मू.	O.	967.00			
पू.	S.	3055.00	3272.00	3193.94	-78.06
पु.	R.	-750.00			

(I) ₹801.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹800.00 लाख – "कार्यालय भवन – निर्माण – बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड" के अंतर्गत आईपीएबी भवन के लिए निर्माण कार्य का आरंभ विलंब से होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹801.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹800.00 lakhs alone accounted for under "Office Buildings - Construction - Intellectual Property Appellate Board (IPAB)" - due to delay in commencement of construction work for IPAB building.